

कार्यालय: प्रधानाचार्य, अमर शहीद जोधा सिंह अटैया ठाकुर दरियाव सिंह
चिकित्सा महाविद्यालय, फतेहपुर, उ०प्र०-212601

पत्रांक : 186/अ०श०जो०सिं०अ०ठा०द०चि०म० / फतेह० / 2021-22

दिनांक 19 / 05 / 2022

स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फतेहपुर, उ०प्र० में संविदा के आधार पर
आचार्य, सह आचार्य, सहायक आचार्य के पदों पर सेवायोजन हेतु पुर्नविज्ञप्ति:-

अमर शहीद जोधा सिंह अटैया ठाकुर दरियाव सिंह चिकित्सा महाविद्यालय फतेहपुर, उ०प्र० में एन०एम०सी० मानकों की पूर्ति हेतु रिक्त आचार्य, सह आचार्य, सहायक आचार्य के पदों को संविदा के आधार पर नियुक्त करने हेतु आवेदन पत्र एतद्वारा आमंत्रित किये जाते हैं। इन पदों पर वाक-इन-इन्टरव्यू (Walk-in-Interview) के माध्यम से कालेज स्तर से संस्तुति के आधार पर अन्तिम चयन शासन/महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० लखनऊ के स्तर से किया जाना है। चयन की प्रक्रिया एन०एम०सी० मानको की अद्यतन संस्तुति के अनुसार 24 मई 2022 से प्रधानाचार्य कार्यालय, अमर शहीद जोधा सिंह अटैया ठाकुर दरियाव सिंह चिकित्सा महाविद्यालय फतेहपुर, सभाकक्ष में प्रातः 09:00 बजे से सायं 03:00 बजे तक प्रत्येक मंगलवार को पदों के भरे जाने तक सम्पन्न की जायेगी। इच्छुक अभ्यर्थी अपने समस्त मूल प्रमाण पत्रों, उनकी सत्यापित छायाप्रतियों की 02 सेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एवं 02 फोटो सहित उपस्थित हों।

शासन के नवीनतम शासनादेश के अनुसार आरक्षण लागू होगा। पदों की संख्या घट-बढ़ सकती है या रिक्त होने पर नये पद भी सम्मिलित हो सकते हैं। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर एन०एम०सी० मानको की पूर्ति हेतु सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी इन पदों के लिए पात्र होंगे। जिन विभागों में आचार्य के पद हैं उन विभागों में आचार्य के पात्र उम्मीदवार न मिलने पर आचार्य के सापेक्ष सह आचार्य एवं सह आचार्य पात्र उम्मीदवार न मिलने पर सह आचार्य के सापेक्ष सहायक आचार्य की भर्ती की जा सकता है। पदों की अद्यतन स्थिति एवं समस्त विवरण www.dgmeup.in एवं www.asmcfatehpur.com पर उपलब्ध है।

अमर शहीद जोधा सिंह अटैया ठाकुर दरियाव सिंह चिकित्सा महाविद्यालय फतेहपुर, उ०प्र० में संविदा पर चयन हेतु चिकित्सा शिक्षकों के रिक्त पदों की स्थिति				
क्र०सं०	विशिष्टता का नाम	अमर शहीद जोधा सिंह अटैया ठाकुर दरियाव सिंह चिकित्सा महाविद्यालय फतेहपुर, .		
		आचार्य	सह-आचार्य	सहायक आचार्य
1	अस्थि रोग विभाग	00	01-अनुसूचित जाति	00
2	नेत्र रोग विभाग	00	00	01-अनुसूचित जाति
3	स्त्री एवं प्रसूति	01-अनुसूचित जाति	00	00
4	इमरजेंसी मेडिसिन	00	01- अन्य पिछड़ा वर्ग	00
5	सामान्य मेडिसिन	01- अन्य पिछड़ा वर्ग	01- अन्य पिछड़ा वर्ग	01- अन्य पिछड़ा वर्ग
6	सामान्य सर्जरी	01- अनारक्षित	00	00
7	स्किन एण्ड वी०डी०	00	01-अनारक्षित	00
8	बाल रोग विभाग	00	01- अन्य पिछड़ा वर्ग	00
9	फिजियोलॉजी	01-अनुसूचित जाति	00	01-आर्थिक रूप से कमजोर
10	फारेन्सिक मेडिसिन	00	00	01-अनुसूचित जाति
11	वायोकेमिस्ट्री	00	01- अन्य पिछड़ा वर्ग	01- अनारक्षित, 01- अन्य पिछड़ा वर्ग
12	रेडियोडायग्नोसिस	00	01- अन्य पिछड़ा वर्ग	00
13	मानसिक रोग	00	01-आर्थिक रूप से कमजोर	00
योग-		04	08	06

संविदा पर नियुक्ति की शर्तें निम्नवत हैं:-

1. संविदा पर नियुक्ति किये जाने वाले आचार्यों का नियत वेतन रू0-1,35,000/- सह आचार्यों का नियत वेतन रू0-1,20,000/- तथा सहायक आचार्यों को नियत वेतन रू0-90,000/- प्रतिमाह है। इस हेतु आवेदनकर्ता को medical council of India, Minimum Qualification for teachers in Medical institutions Regulation, 1998 अद्यतन एन0एम0सी0 द्वारा निर्धारित शैक्षिक अहर्ताए एवं अनुभव पूर्ण करना आवश्यक है।
2. शासनादेश संख्या-2282/71-1-2013-जी-11/2011 दिनांक 23.09.2013 द्वारा राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में सेवानिवृत्ति चिकित्सा शिक्षकों को संविदा पर नियुक्ति किये जाने की अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष होगी।
3. शासनादेश संख्या-582/71-1-2020-जी-63/2008 दिनांक 10 जून 2020 द्वारा संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की अधिकतम आयु नियुक्ति वर्ष के जुलाई माह के प्रथम दिवस को सहायक आचार्य हेतु 60 वर्ष, सह आचार्य हेतु 64 वर्ष एवं आचार्य हेतु 68 वर्ष होगी।
4. ओ0पी0डी0 के दिन प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे।
5. प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले शिक्षकों को प्राइवेट प्रैक्टिस के स्थान निर्दिष्ट करना होगा।
6. कोई भी चिकित्सा शिक्षक इस चिकित्सा महाविद्यालय से सम्बद्ध चिकित्सालयों में आये रोगियों को प्राइवेट में देखने के लिए बाध्य नहीं करेगा।
7. प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सा शिक्षकों को मेडिकल कालेजों में आकस्मिक आपदा सेवाओं के दृष्टिगत हमेशा उपलब्ध होना होगा।
8. उक्त नियत वेतन के अतिरिक्त संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों को अन्य किसी प्रकार के वेतन/भत्ते एवं सेवागत लाभ अनुमन्य नहीं होंगे।
9. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षक की सेवायें सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित चिकित्सा शिक्षकों के उपलब्ध होने पर तत्काल समाप्त हो जायेगी एवं सेवा संतोषजनक न पाये जाने पर एक माह की नोटिस देकर भी सेवा समाप्त की जा सकती है।
10. ऐसे चिकित्सा शिक्षको का संविदा कार्यकाल एक वर्ष होगा, एक वर्ष की संतोषजनक सेवा के पश्चात चयनित अभ्यर्थी की नियमति चिकित्सा शिक्षक उपलब्ध न होने पर आवश्यकतानुसार इनकी संतोष जनक सेवा के आधार पर पुनः बढ़ाया जा सकेगा।
11. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षको के लिए यह आवश्यक होगा कि वह करार होने के 15 दिन के भीतर सम्बन्धित मेडिकल कालेज में अपना कार्यभार ग्रहण कर ले, उक्त काल अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः रद्द मानी जायेगी। संविदा पर नियुक्त ऐसे चिकित्सा शिक्षको के कार्यभार ग्रहण की सूचना सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्राधानाचार्य द्वारा शासन तथा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण को तत्काल भेजी जायेगी।
12. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षक, संविदा काल अवधि के लिए किसी प्रकार की पेंशन सम्बन्धित सुविधाओं का हकदार नहीं होगा। उसे ऐसे काल अवधि के लिए कोई भी बोनस देय नहीं होंगे।
13. चिकित्सा शिक्षक शासकीय सेवा में विनियमतीकरण के लिए हकदार नहीं होगा।
14. संविदा आधारित नियुक्ति किसी भी एक पक्ष द्वारा और किसी भी समय एक माह की सूचना या एक माह का संविदा वेतन भुगतान करके समाप्त की जा सकती है।

15. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षको की अन्य सेवा शर्त ऐसी होगी जैसे करार या अनुबन्ध पत्र में विनिर्दिष्ट की जायेगी। संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षको के अनुबन्ध या करार में इस तथ्य का उल्लेख किया जायेगा कि वह भविष्य में अपने कार्य एवं अपने कार्यकाल के आधार पर अपने विनियमतीकरण अथवा स्थाई करण का दावा नहीं करेंगे न ही उन्हें नियत वेतन के अतिरिक्त कोई अन्य सुविधा अनुमन्य होगी।
16. अभ्यर्थियों से साक्षात्कार के समय इस आशय का घोषणा पत्र भी प्राप्त किया जायेगा कि उनके विरुद्ध मा० न्यायालय में कोई अपराधिक वाद प्रचलित नहीं है, यदि उनके विरुद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें समाप्त कर दी जायेंगी।
17. उ०प्र० शासन कार्मिक अनुभाग-2 उ०प्र० लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप सख्या:- 1/2019/4/1/2002/का-2/ 19टी०सी०-II दिनांक 18.02.2019 के अन्तर्गत ई०डब्लू०एस० (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के आरक्षण का लाभ प्राप्त करते हुए कुल वार्षिक आय 8 लाख से कम होगी तथा परिवार की आय और परिसम्पत्ति का प्रमाण पत्र सम्बन्धित क्षेत्र के तहसीलदार से/ अनिम्न अधिकारी द्वारा जारी/प्रमाणित किया जायेगा। इस सम्बन्ध में विस्तृत विवरण नेट पर देखा जा सकता है।
18. पदों की संख्या घट व बढ़ सकती है।

RLS

प्रधानाचार्य

अ०श०जो०सि०अ०ठा०द०सिंह
चिकित्सा महाविद्यालय, फतेहपुर।

पत्रांक : /अ०श०जो०सि०अ०ठा०द०चि०म० / फतेह० / 2021-22

तददिनांक.....

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा उत्तर प्रदेश।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को महानिदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/नोडल अधिकारी, मेडिकल कालेज, कानपुर को इस आशय से प्रेषित की उक्त सेवायोजन विज्ञप्ति को अपने विभाग के नोटिस बोर्ड में लगवाने की व्यवस्था अपने स्तर से करें, तथा साथ ही शोसल मीडिया के माध्यम से भी प्रचार-प्रसार करना सुनिश्चित करें।
4. कुल सचिव/प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, लखनऊ/कानपुर/सैफई, इटावा/मेरठ/आगरा/प्रयागराज/झांसी/ गोरखपुर/अम्बेडकर नगर/कन्नौज/जालौन/बांदा/सहारनपुर/ आजमगढ़ व बदायूं को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त सेवायोजन विज्ञप्ति को कार्यालय/छात्रावासों की नोटिस बोर्ड तथा कालेज की वेबसाइट पर प्रदर्शित कराने का कष्ट करें।
5. आहरण एवं वितरण अधिकारी, स्वाशासी राज्य चिकित्सा महाधिलाय, फतेहपुर।
6. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, को इस निर्देश से प्रेषित कि उक्त सेवायोजन विज्ञप्ति को कालेज की वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
7. सूचना पट, कालेज/केन्द्रीय पुस्तकालय/छात्रावास, स्वाशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फतेहपुर।
8. प्रधान लिपिक, अधिष्ठान/लेखा/कैशियर, स्वाशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फतेहपुर।
9. गार्ड फाइल।

प्रधानाचार्य

अ०श०जो०सि०अ०ठा०द०सिंह
चिकित्सा महाविद्यालय, फतेहपुर।